।। ओ३म् ।।

गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) हरिद्वार

(यू0जी0सी0 एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय)

प्रबन्ध–मण्डल की 29 वीं बैठक की कार्यवाही

दिनांक : 24.03.2026 **समय** : प्रातः 11:00 बजे **स्थान** : ए0आई0यू0, नई दिल्ली

प्रबन्ध मण्डल की 29 वीं बैठक में उपस्थिति निम्नवत् रहीः

क्र0 सं0	नाम	पद
1.	प्रो0 प्रतिभा मेहता लूथरा	मान्या कुलपति, अध्यक्ष
2.	डॉ0 एस0एम0 शर्मा	मान्य कुलाधिपति जी द्वारा नामित सदस्य
3.	डॉ0 हरि प्रकाश शर्मा	मान्य कुलाधिपति जी द्वारा नामित सदस्य
4.	डॉ0 सुभाष चन्द्र तंवर	मान्य कुलाधिपति जी द्वारा नामित सदस्य
5.	श्री पी0के0 बैनर्जी, संयुक्त सचिव	शिक्षा मंत्रालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से नामित सदस्य
6.	श्री विनय आर्य	प्रायोजक संस्था (Sponsoring Body) सदस्य
7.	श्री अशोक कुमार पुरथी	प्रायोजक संस्था (Sponsoring Body) सदस्य
8.	डॉ0 राजेन्द्र विद्यालंकार	प्रायोजक संस्था (Sponsoring Body) सदस्य
9.	श्री कृपाल सिंह	प्रायोजक संस्था (Sponsoring Body) सदस्य
10.	प्रो0 नवनीत	वरिष्ठ प्रोफेसर, सदस्य
11.	प्रो0 कर्मजीत भाटिया	वरिष्ठ संकायाध्यक्ष, सदस्य
12.	प्रो0 सुरेखा राणा	वरिष्ठ संकायाध्यक्ष, सदस्या
13.	डॉ0 मनोज कुमार	वरिष्ठ एसोसिएट प्रोफेसर, सदस्य
14.	प्रो0 विनोद कुमार सिंह, वित्ताधिकारी	विशेष आमंत्रित सदस्य
15.	प्रो0 एल0पी0 पुरोहित, परीक्षा नियन्त्रक	विशेष आमंत्रित
16.	डॉ0 श्वेतांक, उप कुलसचिव	विशेष आमंत्रित
17.	डॉ0 पंकज कुमार पाल, सहायक कुलसचिव	विशेष आमंत्रित
18.	प्रो0 सत्यदेव निगमालंकार, कुलसचिव	सचिव–संयोजक

क्र. सं.	प्रस्ताव	प्रस्ताव विवरण	सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सुझाव	कार्यवाही	आपत्ति
1.	**प्रस्ताव संख्या–01** माननीय उच्चतम न्यायालय, भारत, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश संख्या 27647 of 2025 दिनांकित 13.10.2025 के अनुसार गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार के माननीय कुलाधिपति जी एवं मान्या कुलपति जी की नियुक्ति की सम्पुष्टि एवं स्वागत का प्रस्ताव।	माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश संख्या 27647 of 2025 दिनांकित 13.10.2025 के निर्देशानुसार शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली द्वारा जारी पत्रों के अनुसार गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार के माननीय कुलाधिपति जी एवं मान्या कुलपति जी की नियुक्तियां निम्नानुसार की गयी हैः– 1. शिक्षा मंत्रालय, भारत संरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली के कार्यालय आदेश संख्या F.No. 8-5/2023-U.3A दिनांकित 24.11.2025 के अनुसार गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार में श्री एस0के0 आर्य जी को माननीय कुलाधिपति (अतंरिम) दिनांक 25.11.2025 से स्थायी कुलाधिपति की नियुक्ति होने तक अथवा अग्रिम आदेश तक (जो भी पहले हो) के लिये नियुक्त किया गया है। जिसके उपरान्त उन्होंने दिनांक 25.11.2025 से समविश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। 2. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार शास्त्री भवन, नई दिल्ली के कार्यालय आदेश संख्या F.No. 8-5/2023-U.3(A) दिनांकित 24.11.2025 के अनुसार गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार में प्रो0 प्रतिभा मेहता लूथरा जी को मान्या कुलपति (अतंरिम) दिनांक 25.11.2025 से स्थायी कुलपति की नियुक्ति होने तक अथवा अग्रिम आदेश तक (जो भी पहले हो) के लिये नियुक्त किया गया है। जिसके उपरान्त उन्होंने दिनांक 26.11.2025 से समविश्वविद्यालय	कोई नहीं	प्रस्ताव की समस्त मान्य सदस्यों द्वारा सम्पुष्टि एवं स्वागत किया गया। ✓	

क्र. सं.	प्रस्ताव	प्रस्ताव विवरण	सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सुझाव	कार्यवाही	आपत्ति
		के कुलपति के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है।			
2.	**प्रस्ताव संख्या—02** समविश्वविद्यालय में मान्या कुलपति जी द्वारा डॉ0 नवनीत, प्रोफेसर, वनस्पति एवं सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग एवं डॉ0 सत्यदेव निगमालंकार, प्रोफेसर श्रद्धानन्द वैदिक शोध संस्थान को कुलसचिव (कार्यवाहक) के रूप में तथा डॉ0 विनोद कुमार सिंह, प्रोफेसर, प्रबन्ध अध्ययन विभाग को वित्ताधिकारी (कार्यवाहक) के रूप में दिये गये अतिरिक्त दायित्वों का विवरण	**1** डॉ0 नवनीत (कुलसचिव दिनांक 13.11.2025 से 12.02. 2026 तक) **2** डॉ0 सत्यदेव निगमालंकार (कुलसचिव, दिनांक 13.02.2026 से अग्रिम आदेश तक) **3** डॉ0 विनोद कुमार सिंह (वित्ताधिकारी दिनांक 04.12.2025 से अग्रिम आदेश तक)	कोई नहीं	प्रस्ताव का अंकन स्वीकृत किया गया।✓	
3.	**प्रस्ताव संख्या—03** समविश्वविद्यालय में दिनांक 30.06.2025 एवं 16.12.2025 को हुई शिक्षा पटल की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	समविश्वविद्यालय में दिनांक 30.06.2025 एवं 16.12.2025 को मान्य कुलपति जी की अध्यक्षता में शिक्षा पटल की बैठक आहूत की गयी। उक्त बैठक की कार्यवाही संपुष्टि हेतु प्रस्तुत है।	• शिक्षा पटल की बैठक दिनांक 30. 06.2025 एवं 16.12.2025 में शिक्षाविद् के रुप नामित प्रो0 श्रवण कुमार शर्मा के सम्बन्ध में प्रायोजक संस्था के सदस्य (डॉ. एस.एम. शर्मा) द्वारा आपत्ति की गयी तथा उनके समयपूर्व सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण से सदन को अवगत कराया गया। प्रायोजक संस्था के सदस्य (श्री विनय आर्य) ने कहा कि डॉ0 श्रवण कुमार शर्मा को तत्कालीन कुलपति द्वारा शिक्षाविद् के रुप में नामित किया गया है तथा शिक्षा पटल के किसी भी प्रस्ताव पर यदि कोई	शिक्षा पटल के अन्य सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किये गये।✓	***Objection by Prof. S.M. Sharma*** *** (please see the Note at the end of the proceeding) -** **Q. 1.** - Relating to Resolution No. 3, the members of Sponsoring Society noted with concern that the proceedings relating to Shri Shrawan Kumar fail to reflect truly the spirit of the members. Members objected how he was nominated as Academician member in the meetings

क्र. सं.	प्रस्ताव	प्रस्ताव विवरण	सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सुझाव	कार्यवाही	आपत्ति
			चर्चा करनी है तो उस पर सदन चर्चा कर सकता है। • शिक्षा पटल की बैठक दिनांक 16. 12.2025 के प्रस्ताव संख्या 03 में पूर्व बैठक 30.06.2025 के पूरक प्रस्ताव संख्या 01 में श्री दुष्यत राणा, कोच (अनुबन्ध) को एम0पी0एड0 करने की स्वीकृति के सम्बन्ध में डॉ0 सुभाष चन्द्र तंवर द्वारा कहा गया कि श्री दुष्यन्त राणा को किस मापदंडों के आधार पर एम0पी0एड0 करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस सम्बन्ध में प्रायोजक संस्था के सदस्य ने अवगत कराया गया कि कोच का कार्य प्रातःकालीन एवं सायंकालीन होता है तथा मध्य के समय में एम0पी0एड0 की कक्षाऐं संचालित होती हैं। समविश्वविद्यालय के परीक्षा नियत्रंक ने अवगत कराया कि भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) भी अपने संस्थान में कार्यरत कोचो को अपनी शिक्षा को बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है। उक्त के तारतम्य में प्रायोजक संस्था के सदस्य ने कहा कि भारत सरकार में कर्मचारियों को सायंकालीन एवं पत्राचार के माध्यम से कोर्स करने सुविधा प्रदान की जाती है तथा यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि इससे विभागीय कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न नही होगी। यदि श्री दुष्यन्त राणा के एम0पी0एड0 करने से इनके विभागीय कार्यों में कोई बाधा नही होती है तो इन्हें		of Academic Council dated 30.6.2025 & 16.12.2025 knowing it fully well that Hon'ble Justice Bist had declared the meeting of the BOM dated 6.1.2023 and resolutions adopted in it as invalid vide Order dated 14.2.2025. Both the meetings were held after the pronouncement of the order by the Hon'ble Justice Bist. Hence the decisions taken in the meetings of Academic Council dated 30.6.2025 & 16.12.2025 cannot be considered as valid. This observation has not been recorded in the proceedings. **Ans. 1.** The same query had been addressed by Sh. Vinay Arya (Nominated Member). He mentioned in the meeting that the subject qualified academician can be invited in the Academic Council and this matter may be addressed in the Academic Council itself. **Q.2** - Page-3 Last 4 lines ....What about report of the committee which reviewed contractual

क्र. सं.	प्रस्ताव	प्रस्ताव विवरण	सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सुझाव	कार्यवाही	आपत्ति
			स्वीकृति दी जा सकती है। इनके पद के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि ओ0बी0सी0 अनुदान के अन्तर्गत स्वीकृत कोच पद के सापेक्ष इनकी नियुक्ति नियमानुसार हुई है तथा एम0पी0एड0 करने की स्वीकृति भी नियमानुसार पूर्व में दी जा चुकी है।		appointments under OBC grants ? The item has not come in the agenda of the meeting of 9th may, 2026 **Ans. 2-** The Committee is formed and the matter is in process.
			• प्रायोजक संस्था के सदस्य ने कहा कि ओ0बी0सी0 अनुदान के अन्तर्गत अनुबन्ध आधार पर की गयी नियुक्ति के सम्बन्ध में एक समिति का गठन कर समीक्षा कर ली जाये तथा आगामी प्रबन्ध मण्डल में समिति की रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाये।	ओ0बी0सी0 अनुदान के अन्तर्गत अनुबन्ध आधार पर समिति का गठन किया गया है तथा कार्यवाही जारी है।	**Q.3-** What about report of the committee to review the initiatives undertaken in connection with upcoming NAAC and IQAC? **Ans. 3-** The matter is completed and the related docs. & report (Academic and Administrative Audit) of the committee are enclosed.
			• समविश्वविद्यालय में आगामी होने वाले नेक के सम्बन्ध में एक समिति का गठन किया जाय जो कि समविश्वविद्यालय को मूल्यांकन कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। जिसमें दो वाह्य सदस्य होंगे, जिन्हें आई0क्यू0ए0सी0 / नेक का अनुभव हो।	IQAC/NAAC की आन्तरिक एवं बाह्य सदस्यों की समिति के द्वारा प्रशासनिक एवं अकादमिक ऑडिट करा लिया गया है तथा NAAC विशेषज्ञ को समिति में सम्मिलित करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।	**Q.4-** Who are its members? **Ans. 4-** The enclosed report for the Administrative and Academic Audit has been signed each by internal and external invited members.
			• सदन में शिक्षा पटल के जिन भी प्रस्तावों पर क्रिन्यान्वयन हुए है, उसकी जिम्मेदारी किसी अधिकारी की होनी चाहिए कि शिक्षा पटल में जो भी प्रस्ताव स्वीकृत किये गये है, उनका क्रियान्वयन पूर्ण रुप से हो सके।	सदन में शिक्षा पटल के प्रस्तावों का क्रियान्वयन की जिम्मेदारी कुलसचिव, गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार की होती है जिसके लिए प्रोफेसर इंचार्ज, शिक्षा पटल के	**Q.5.** It was decided that there shall be 2-external members having knowledge of the parameters of NAAC and IQAC in the Committee. **Ans. 5-** The permanent

क्र. सं.	प्रस्ताव	प्रस्ताव विवरण	सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सुझाव	कार्यवाही	आपत्ति
				समन्वय में कार्य किया जाता है।✓	external members have been communicated and the committee has been formed. **Q. 6.** The item has not come in the agenda of the meeting of 9th may, 2026. **Ans.** The matter is resolved. **Q.7.** - What about action taken report of the decisions taken in Academic Council meetings. Fixing of responsibility? The item has not come in the agenda of the meeting of 9th may, 2026. **Ans.** ATR responsibility has been vested in The Registrar, GK(DTBU) in coordination with Prof. Incharge, Academic Council.
4.	**प्रस्ताव संख्या–04** समविश्वविद्यालय में दिनांक 12.07.2025 को हुई वित्त समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	समविश्वविद्यालय में दिनांक 12.07.2025 को वित्त समिति की बैठक आहूत की गयी। उक्त बैठक की कार्यवाही संपुष्टि हेतु प्रस्तुत है।	वित्त समिति की दिनांक 12.07.2025 की बैठक की कार्यवाही पर निम्न निर्णय लिये गये:– • समविश्वविद्यालय के वित्ताधिकारी ने अवगत कराया गया कि जिन भी शिक्षकों एवं कर्मचारियों पर विश्वविद्यालय कार्यार्थ अगाऊ लिया गया है उसे दिनांक 31.03. 2026 तक वापस ले लिया जायेगा।	शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के अगाऊ की कार्यवाही पूर्ण हुई।✓	***Objection by Prof. S.M. Sharma-*** **Q. 1-** Regarding Resolution No. 4, Sub Para 3 relating to Mr Sharawan Kumar.....Reporting is confusing..... **Ans. 1-** There is no confusion bcz sponsoring body member stated that

क्र. सं.	प्रस्ताव	प्रस्ताव विवरण	सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सुझाव	कार्यवाही	आपत्ति
			• शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के नामित सदस्य द्वारा अवगत कराया गया कि अनुरक्षण एवं स्ववित्त पोषित की Balance Sheet, Annual Account तथा Annual Report भी अलग–अलग होनी चाहिए। वित्ताधिकारी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025–26 से उपरोक्तानुसार कार्यवाही सम्पन्न कर दी जायेगी। • डॉ0 श्रवण कुमार शर्मा के समयपूर्व सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में प्रायोजक संस्था के सदस्य द्वारा पूर्ण विवरण सदन में प्रस्तुत किया गया तथा कहा कि एक प्रबन्ध मण्डल की बैठक द्वारा उन्हें समयपूर्व सेवानिवृत्त कर दिया गया था तथा दूसरी प्रबन्ध मण्डल की बैठक द्वारा पहली बैठक निर्णय को बदलकर उन्हें पुनः स्थापित कर दिया गया। भारत सरकार के नामित सदस्य द्वारा कहा गया कि क्या सम्बन्धित प्रकरण को वित्त समिति में नहीं रखा गया। इस सम्बन्ध में प्रायोजक संस्था के सदस्य द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि यदि वित्त समिति की कार्यवाही को सदन स्वीकार कर लेता है तो यह मान लिया जायेगा कि डॉ0 श्रवण कुमार शर्मा को समयपूर्व सेवानिवृत्ति से पुनः स्थापित होने	अनुरक्षण एवं स्ववित्त पोषित की Balance Sheet, Annual Account तथा Annual Report भी अलग–अलग करने की कार्यवाही पूर्ण हुई।✓ माननीय जस्टिस श्री वी. के. बिष्ट द्वारा 14.02. 2025 के निर्णयानुसार 06.01.2023 की प्रबन्ध मण्डल की बैठक को निरस्त कर दिया गया है। का.आ............दिनांक .. .. ✓ ***वित्त समिति दिनांक 12.07.2025 के अन्य समस्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किये गये।*** ✓	the payment of salary to Prof. Sharvan Kumar Sharma after his reinstatement can not be justified by putting the mater in the Finance Committee, and accpected the proceedings of Finance Committee in BOM. **Q.2.** what about constituting a committee?.... It was decided that there will be one external member in the Committee. Already one and a half month have passed. What is the status now? **Ans. 2**- As per suggestion the Committee has been constituted and the matter is in process. **Q.2**- The item has not come in the agenda of the meeting of 9th may, 2026. **Ans. 2**- The matter will be placed in the next BoM meeting after receving the report from the constituted committee.

क्र. सं.	प्रस्ताव	प्रस्ताव विवरण	सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सुझाव	कार्यवाही	आपत्ति
			के मध्य की अवधि का दिया गया वेतन सही है। मान्या कुलपति जी द्वारा सदन में विश्वविद्यालय में एक आन्तरिक ऑडिट सैल के गठन का प्रस्ताव रखा जिससे कि इस प्रकार की कमीयों की पुनरावृत्ति न हो तथा • डॉ0 श्रवण कुमार शर्मा के प्रकरण के सम्बन्ध में एक समिति का गठन कर समीक्षा कर ली जाये। इस समिति में एक वाह्य सदस्य भी होना आवश्यक है तथा समिति दो माह में अपनी संस्तुति/रिपोर्ट मान्या कुलपति जी को प्रस्तुत करेंगी।	प्रो. श्रवण कुमार शर्मा प्रकरण में समिति का गठन किया गया है तथा कार्यवाही की जा रही है।	
5.	**प्रस्ताव संख्या–05** समविश्वविद्यालय में अनुरक्षण अनुदान एवं स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्थायी शिक्षकों/शिक्षिकाओं को करियर एडंवासमेन्ट स्कीम (CAS) के अन्तर्गत प्रौन्नति हेतु स्क्रीनिंग–कम–मूल्यांकन एवं साक्षात्कार समिति की बैठकों की संस्तुतियों के सीलबन्द लिफाफों को खोले जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	विश्वविद्यालय में अनुरक्षण अनुदान एवं स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्थायी शिक्षकों/शिक्षिकाओं के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमन–2010 एवं 2018 के अनुसार कॅरियर एडंवासमेन्ट स्कीम (CAS) के अन्तर्गत प्रौन्नति हेतु स्क्रीनिंग–कम–मूल्यांकन एवं साक्षात्कार समिति की बैठकों की दिनांक 29.06.2024 एवं 16.07.2024 से 23.07.2024 तक की गयी संस्तुतियों के अनुसार सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं की CAS प्रोन्नति के सीलबन्द लिफाफे खोले जाने हैं। सम्बन्धित विवरण **संलग्नक–1**	विचारोपरान्त निम्न बिन्दुओं के अनुसार अनुपालन की कार्यवाही सम्पन्न कर ली जाय :– **1.** जिन शिक्षकों/शिक्षिकाओं का वरिष्ठ प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–15) में प्रोन्नति हुई है उनके यू0जी0सी0 नियमानुसार जांच कर ली जाय। **2.** जिन शिक्षकों/शिक्षिकाओं का असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–11) से लेकर प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल–14) तक प्रोन्नति हुई उन्हें लाभ दे देना चाहिए तथा प्रोन्नति न रोकी जाय। **3.** स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत जिन शिक्षकों/शिक्षिकाओं का वाद माननीय न्यायालय में चल रहे है। उनके सम्बन्ध में समविश्वविद्यालय	**1.** प्रोफेसर से वरिष्ठ प्रोफेसर पद पर प्रौन्नति के लिफाफों को खोले जाने पर चर्चा आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में की जायेगी। **2.** प्रबन्ध मण्डल की बैठक में अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों की प्रौन्नति की कार्यवाही पूर्ण की जिसमें लेवल–10 से 11, लेवल 11से 12, लेवल 12 से 13ए एवं लेवल 13ए से 14 में CAS प्रौन्नति आगामी बैठक में प्रस्तुत करेंगे।	***Objection by Prof. S.M. Sharma:*** Refer to Page 7 Last line. It is wrong to suggest that action be taken as per sub-para 1,2 and 3. Casual discussion cannot be considered as decisions. Recording in the proceedins should be fair, transparent and to the point. Ans: The question is not related to page 7 para #3. It is unfortunate that the member of BOM is stating th at the "Recording in the proceedins should be fair, transparent and to the

क्र. सं.	प्रस्ताव	प्रस्ताव विवरण	सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सुझाव	कार्यवाही	आपत्ति
			के अधिवक्ता से राय ले लेनी चाहिए। ***उपरोक्त बिन्दुओं के तारतम्य में यह भी निर्णय लिया गया कि वर्तमान प्रबन्ध मण्डल की बैठक की निरन्तरता में शीघ्र ही प्रबन्ध मण्डल की बैठक आहुत की जाय। जिसमें इस प्रस्ताव पर पूर्ण विचार–विमर्श किया जा सके।***	**3.** विधिक परामर्श हेतु कार्यवाही की जा रही है।	point". Please correct wherever irrationality is observed.
6.	**प्रस्ताव संख्या–06** समविश्वविद्यालय में अनुरक्षण अनुदान एवं स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्थायी रूप से कार्यरत शिक्षकेतर कर्मचारियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार MACP योजना के अन्तर्गत प्रोन्नत वेतनमान का लाभ दिये जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।	अनुरक्षण अनुदान में स्थायी रूप से कार्यरत निम्न शिक्षकेतर कर्मचारियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र संख्या **1-/2020 (JCRC) दिनांक 09 जून 2010 के** अनुसार MACP योजना के अन्तर्गत प्रोन्नत वेतनमान का लाभ प्रदान करने हेतु यथानियम व प्रक्रियानुसार कार्यवाही की गयी है। सम्बन्धित विवरण **संलग्नक–02**	इस प्रस्ताव पर निर्णय हुआ कि जिन भी कर्मचारियों के द्वारा मान्य न्यायालयों में वाद दायर किये गये है अथवा जिन पर जांच लम्बित है, उनके एम0ए0सी0पी0 प्रकरण में लाभ दिये जाने हेतु विधिक राय ले ली जाय। यह प्रक्रिया एम0ए0सी0पी0 एवं कैश प्रोन्नति दोनों में लागू होगी। शेष कर्मचारियों को एम0ए0सी0पी0 का लाभ दिया जाना सर्वसम्मति दिया जाना स्वीकृत हुआ।	इस प्रस्ताव पर विधिक राय लेने हेतु कार्यवाही की गयी है। शेष कर्मचारियों को एम.ए.सी.पी. का लाभ देने की कार्यवाही की जा रही है।	***Objection by Prof. S.M. Sharma***: The same applies on Resolution No. 6..................Legal opinion...............No final decision was taken. Ans: in this matter, BOM has to give the decision to open the envelops of the employees, who are not involved in the litigation. GKDU administration has been facing the agitation from these employees, and will be obliged if member permit to take the decision. Already legal formalities are in the process.
7.	**प्रस्ताव संख्या–07** समविश्वविद्यालय में विभिन्न शिक्षकेतर वर्ग के पदों पर हुए पदोन्नति के लिफाफों को खोलने के सम्बन्ध में	समविश्वविद्यालय में अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत शिक्षकेत्तर वर्ग के पदोन्नति अनुभाग अधिकारी, पुस्तकालय सहायक, प्रोफेशनल असिस्टेन्ट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेन्ट, सहायक एवं उच्च श्रेणी लिपिक पदों पर	इस प्रस्ताव पर शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार के नामित सदस्य द्वारा जानकारी प्राप्त की गयी कि समविश्वविद्यालय के रिक्रूटमेन्ट रुल्स 2020 जिनके आधार पर पदोन्नति	समिति का गठन किया गया है तथा कार्यवाही की जा रही है।	***Objection by Prof. S.M. Sharma :*** Resolution No.7.....(Page-9). The report of the Committee has not been placed in the

क्र. सं.	प्रस्ताव	प्रस्ताव विवरण	सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सुझाव	कार्यवाही	आपत्ति
	प्रस्ताव की संस्तुति का अनुमोदन।	दिनांक 21.07.2024 एवं 24.07.2024 को समविश्वविद्यालय रिक्रूटमेन्ट रुल्स 2020 के अनुसार विभागीय परीक्षा, वरिष्ठता–कम फिटनेश एवं ए0सी0आर0 ग्रेडिंग के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से पदोन्नति की कार्यवाही पूर्ण कर चयन किया गया।	की गयी है क्या वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से स्वीकृत हैं। इस सम्बन्ध में शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार के नामित सदस्य को अवगत कराया गया कि समविश्वविद्यालय के रिक्रूटमेन्ट रुल्स 2020 यू0जी0सी0 के सी0आर0आर0 के प्रावधानों के अन्तर्गत बनाये गये हैं तथा जिसकी सूचना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली को दे दी गयी थी। इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि समविश्वविद्यालय के रिक्रूटमेन्ट रुल्स 2020 एवं 2023 को यू0जी0सी0 से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्यवाही की जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि एक समिति का गठन कर इन पदों पर पदोन्नति किस रिक्रुटमेंट रुल्स से की गयी है पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट जमा करें। समिति की रिपोर्ट आगामी बैठक में रखी जाय। तदोपरान्त ही पदोन्नति के लिफाफों को खोला जाना चाहिए।		today's BOM meeting. Ans: The committee report is awaited, once the report will be received the matter will be placed in the BOM.
8.	**प्रस्ताव संख्या–08** समविश्वविद्यालय में कार्यरत स्थाई शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को प्रोविडेंट फंड नियमावली की स्वीकृति हेतु प्रस्तावित।	समविश्वविद्यालय में कार्यरत स्थाई शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड के सम्बन्ध में कोई भी स्पष्ट नियमावली न होने के कारण सम्बन्धित कर्मचारियों का पी0एफ0 फण्ड पूर्व से ही पंजाब नेशनल बैंक में ही किया जाता था। जिस पर बैंक द्वारा भारत सरकार के प्रोविडेंट फंड के नियमानुसार ब्याज की गणना की जाती थी। परन्तु विगत 9–10 वर्षों से पंजाब नेशनल बैंक द्वारा ब्याज की दर को भारत सरकार के प्रोविडेंट फंड के नियमानुसार न देकर बैंक के ब्याज के अनुसार दिया जा रहा है। जिस कारण से सम्बन्धित कर्मचारियों को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है। बैंक से कई बार वार्ता	उक्त प्रस्ताव पर कार्यवाहक वित्ताधिकारी द्वारा पूर्ण विवरण सदन में रखा गया तथा प्रायोजक संस्थाओं के नामित सदस्यों ने कहा कि यदि बैंक की गलती है तो समविश्वविद्यालय को मान्य न्यायालय की शरण में जाना चाहिए। जिससे कि कर्मचारियों के पी0एफ0 ब्याज पर होने वाली हानि को पूर्ण किया जा सके। शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार के नामित सदस्य द्वारा अवगत कराया	इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में कर्मचारियों के पी0एफ0 ब्याज पर होने वाली हानि के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में वाद दायर किया जा रहा है। शिक्षा मन्त्रालय के प्रतिनिधि के सुझाव को	***Objection by Prof. S.M. Sharma :*** Resolution No. 8 The report of the Committee has not been placed in the today's BOM meeting. Ans: The communication with PNB has been made, once the report will be received the matter will be placed in the BOM.

क्र. सं.	प्रस्ताव	प्रस्ताव विवरण	सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सुझाव	कार्यवाही	आपत्ति
		एवं पत्राचार किया गया परन्तु बैंक द्वारा इस सम्बन्ध में अपनी असमर्थता जताते हुए भारत सरकार के प्रोविडेंट फंड के नियमानुसार ब्याज दर को देना अस्वीकार कर दिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से इस सम्बन्ध में हुई वार्तानुसार समविश्वविद्यालय द्वारा सरकारी नियमों के अनुसार प्रोविडेंट फंड नियमावली तैयार कर तथा एक ट्रस्ट का गठन कर समविश्वविद्यालय के स्थाई कर्मचारियों को प्रोविडेंट फंड का संचालन किया जाये। इस सम्बन्ध में माननीया कुलपति जी के आदेशानुसार प्रोविडेंट फंड नियमावली तैयार करने हेतु समिति का गठन किया गया था समिति द्वारा प्रोविडेंट फंड से सम्बन्धित नियमावली को तैयार किया गया है। सम्बन्धित प्रोविडेंट फंड नियमावली की स्वीकृति हेतु भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाना है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से स्वीकृति के उपरान्त विश्वविद्यालय स्तर पर प्रोविडेंट फंड के संचालन हेतु ट्रस्ट का गठन कर संचालित किया जाना है।	गया कि पी0एफ0 राशि के सम्बन्ध में जो अन्य डीम्ड विश्वविद्यालय (दयालबाग शिक्षा संस्थान, आगरा) किसी कार्यप्रणाली को अपना रहे है इस सम्बन्ध में उन डीम्ड विश्वविद्यालय से सम्पर्क कर तदनुसार कार्यवाही पूर्ण कर ली जाय। इस सम्बन्ध में एक समिति गठित कर एक माह में समिति अपनी रिपोर्ट मान्या कुलपति जी को प्रस्तुत करेगी। जिसे आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में रख कर निर्णय लिया जायेगा।	मानते हुए अन्य डीम्ड विश्वविद्यालयों के वित्तीय प्रबन्धन (पी.एफ. धनराशि) के अध्ययन हेतु समिति का गठन कर दिया गया है।	
9.	**प्रस्ताव संख्या–09** प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 25.07.2025 के पूरक प्रस्ताव संख्या 04 के निर्णयानुसार समविश्वविद्यालय में विभिन्न संवर्ग में फिक्स वेतन पर अस्थायी रुप से कार्यरत शिक्षकेतर कर्मचारियों के फिक्स वेतन में की गयी	प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 25.07.2025 के पूरक प्रस्ताव संख्या 04 के निर्णयानुसार दिनांक 14.02.2026 को जारी कार्यालय आदेश के अनुसार समविश्वविद्यालय में अनुरक्षण एवं स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत विभिन्न संवर्ग में फिक्स वेतन पर अस्थायी रुप से कार्यरत शिक्षकेतर कर्मचारियों के फिक्स वेतन में की गयी बढ़ोतरी पर निम्नानुसार व्यय हुआ है:– 1. अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत प्रतिमाह रु. 90,659/–	प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।	कार्यवाही पूर्ण हुई।✓	***Objection by Prof. S.M. Sharma :*** Resolution No.9..................Doubtful Ans: The matter is crystal clear, as per the FC 12-07-2025, the employees were given the anuual increments. The additional

क्र. सं.	प्रस्ताव	प्रस्ताव विवरण	सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सुझाव	कार्यवाही	आपत्ति
	बढ़ोतरी सम्बन्ध में प्रस्ताव।	2. स्ववित्तपोषित के अन्तर्गत प्रतिमाह रु. 77,908/–			financial burden in maintenance and Self finance scheme has been given in numerical figures.
10.	**प्रस्ताव संख्या–10** समविश्वविद्यालय के स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रबन्धन करने हेतु एक पद सहायक कुलसचिव, एक पद अनुभाग अधिकारी एवं एक पद उच्च श्रेणी लिपिक की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	समविश्वविद्यालय के स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रबन्धन को पारदर्शी और सुदृढ़ बनाने के लिये स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत 03 पदों (सहायक कुलसचिव–01, अनुभाग अधिकारी–01 एवं उच्च श्रेणी लिपिक–01) को स्वीकृत किये जाने हेतु प्रस्तावित है। उक्त पदों पर नियुक्ति स्ववित्तपोषित नियमावली–2020 के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय के रिक्रूटमेन्ट रुल्स के अनुसार की जायेगी। जिससे कि स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों का संचालन एवं एवं कार्य सुगमता से सम्पन्न हो सके।	उक्त प्रस्ताव पर प्रायोजक संस्था के नामित सदस्य ने कहा कि यदि स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना है तो नये पदों की स्वीकृति दी जाती है। इन पदों के वेतन के सम्बन्ध में मान्या कुलपति जी की अध्यक्षता में प्रायोजक संस्था के नामित सदस्य (श्री विनय आर्य), वित्ताधिकारी एवं कुलसचिव की एक समिति का गठन किया जाना है।	समिति का गठन कर कार्यवाही की जानी है।	***Objection by Prof. S.M. Sharma:*** Resolution No. 10..................Recruitment rules 2020................Report ???? Ans: The committee has been formed and once the report will be received the matter will be placed in the BOM.
11.	**प्रस्ताव संख्या–11** समविश्वविद्यालय का एक कैम्प कार्यालय नई दिल्ली में खोले जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालयों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली में समविश्वविद्यालय के कार्यों हेतु समय–समय पर सम्पक्र किया जाना होता है। जिस हेतु गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से सम्बन्धित मंत्रालयों से सम्पक्र करना होता है। इस स्थिति में विश्वविद्यालय का एक कैम्प कार्यालय नई दिल्ली में खोला जाना आवश्यक है। जोकि उपरोक्त मंत्रालयों/यू0जी0सी0 के कार्यालयों में सम्पक्र कर समविश्वविद्यालय के कार्यों को यथासमय पूर्ण कर सकें। साथ में यह भी प्रस्तावित है कि पंजाब के अन्तर्गत जालन्धर तथा हरियाणा के अन्तर्गत रोहतक में गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार की विभिन्न गतिविधिओं तथा मूलभूत सिद्वान्तों को प्रचारित करने के लिए एक–एक कैम्प कार्यालय खोले	इस प्रस्ताव पर शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार के नामित सदस्य ने जानकारी प्राप्त करनी चाही तथा कहा कि प्रस्ताव में स्पष्ट नहीं है कि कैम्प कार्यालय हेतु भूमि क्रय की जायेगी अथवा किराये के भवन में कार्यालय संचालित होंगे। इस पर होने वाले व्यय कहां से किया जायेगा तथा सदन के समस्त सदस्यों को अवगत कराया कि ऑनलाईन माध्यम से भी प्राधिकरणों (UGC, AICTE & MoE) से सम्पक्र किया जा सकता है। वित्ताधिकारी ने जानकारी दी की खर्चा स्ववित्तपोषित से किया जायेगा। इस प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि पूर्ण तथ्यों एवं विवरण के साथ प्रस्ताव को आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया	विश्वविद्यालय के जूनियर इंजीरियर इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी एवं अभिलेख प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत करेंगे।	

क्र. सं.	प्रस्ताव	प्रस्ताव विवरण	सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सुझाव	कार्यवाही	आपत्ति
		जाने हैं।	जाय।		
12.	**प्रस्ताव संख्या–12** समविश्वविद्यालय में अनुरक्षण योजनान्तर्गत स्थायी रुप से कार्यरत शिक्षक एवं कर्मचारियों से चिकित्सा प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में पुनः विकल्प पत्र लिये जाने के सन्दर्भ में प्रस्ताव।	समविश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 05.05.2021 के प्रस्ताव संख्या 11 में हुए निर्णय के अनुसार समस्त कार्यरत स्थायी शिक्षकों/कर्मचारियों से इस आशय का शपथ पत्र लिया जाना चाहिए कि वह अपने सेवा काल में एक बार घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वे फिक्स चिकित्सा प्रतिपूर्ति लेना चाहते हैं अथवा वास्तविक चिकित्सा प्रतिपूर्ति लेना चाहेंगें तथा कर्मचारियों द्वारा एक बार दिया गया घोषणा पत्र उनके सम्पूर्ण सेवाकाल के लिये लागू रहेगा तथा इसको बीच में किसी भी अवस्था में परिवर्तित नही किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में समस्त स्थायी शिक्षकों/कर्मचारियों तत्समय विकल्प पत्र ले लिया गया था। मान्य कुलपति जी द्वारा शिक्षक/कर्मचारी यूनियन की मांग पर अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत कार्यरत स्थायी शिक्षकों/शिक्षकेतर कर्मचारियों से एक बार पुनः चिकित्सा प्रतिपूर्ति का विकल्प परिवर्तित करने का अवसर इस आशय से प्रदान किया है कि यदि प्रबन्ध मण्डल द्वारा इस प्रस्ताव का अस्वीकार किया जाता है तो सम्बन्धित शिक्षक/कर्मचारी से विकल्प को वापस ले लिया जायेगा। उक्त के आधार पर कुछ शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों द्वारा पूर्व का विकल्प परिवर्तित किया गया है।	इस प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गयी तथा शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार के नामित सदस्य ने अवगत कराया कि इस सम्बन्ध में यू0जी0सी0 से सम्पक्र कर चिकित्सा प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण प्राप्त कर लिया जाय। वर्तमान में हरिद्वार में तथा इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में सी0जी0एच0एस0 अस्पताल न होने कारण कर्मचारियों को समस्या रहती है। इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्थायी शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रुप में रु.40,000/– (रु. चालीस हजार मात्र) तथा अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत स्थायी शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रुप फिक्स रु. 40,000/– (रु.चालीस हजार मात्र) अथवा वास्तविक चिकित्सा प्रतिपूर्ति में से किसी एक विकल्प का चयन करना होगा। सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी द्वारा चयन किया गया विकल्प उनके पूरे सेवाकाल अवधि के दौरान लागू रहेगा। आगामी वित्तीय वर्ष 2026–27 वास्तविक चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत बिलों का भुगतान सी0जी0एच0एस0 की दरों के अनुसार किया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया।	कार्यवाही पूर्ण की गयी।✓	
13.	**पूरक प्रस्ताव संख्या–01** समविश्वविद्यालय में	समविश्वविद्यालय के शिक्षा पटल की बैठक दिनांक 23.02.2026 के पूरक प्रस्ताव संख्या	उक्त पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में सदन में विस्तृत चर्चा की गयी तथा इस	नवीन पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में	

क्र. सं.	प्रस्ताव	प्रस्ताव विवरण	सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सुझाव	कार्यवाही	आपत्ति
	स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत नये पाठ्यक्रम खोले जाने के सम्बन्ध में स्वीकृति हेतु।	03 के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्न पाठ्यक्रमों को सर्वसम्मति से सत्र 2026–27 से संचालित किये जाने निर्णय लिया गया। **योग विज्ञान विभाग** पंचकर्म विधि पाठ्यक्रम प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान (डिप्लोमा) बी0एन0वाई0एस0 (Bachelor of Naturopathy & Yogic Science) चिकित्सा (OPD) पाठ्यक्रम कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून बी0ए0/बी0एस–सी0 (योग विज्ञान) पाठ्यक्रम/ बी0एस0सी0 नर्सिंग **कम्प्यूटर विज्ञान विभाग** बी0सी0ए0 **स्वामी श्रद्धानन्द स्वास्थ्य केन्द्र** Pathology Lab **PG COURSE** M.Sc. Food Technology and Nutrition M.Sc. Zoology M.Sc. Pharmaceutical Chemistry M.Sc. Botany M.Sc. Computer Science **UG COURSE :** B.Sc. Forensic Science and Criminology B.A. Music LLB B.Tech (Robotics and Automation) BA Economics B.Sc. Biomedical Science	सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली को पत्र प्रेषित कर सूचित कर दिया जाय। वित्ताधिकारी द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि प्रत्येक पाठ्यक्रम को संचालित करने हेतु तथा सम्बन्धित व्यय हेतु रु.2,00,000/– प्रति पाठ्यक्रम सीड मनी रुप में रखा गया है। जिससे कि पाठ्यक्रम सुगमत्ता से संचालित हो सके। उपरोक्तानुसार प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।	यू.जी.सी. एवं शिक्षा मन्त्रालय को पत्र प्रेषित कर सूचित कर दिया गया है।✓ प्रवेश की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है। नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु आवश्यकतानुसार सीड मनी प्रदत्त की जायेगी।✓	

क्र. सं.	प्रस्ताव	प्रस्ताव विवरण	सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सुझाव	कार्यवाही	आपत्ति
		B.Com (Hons) **<u>DIPLOMA</u>** Diploma (WP) in Electrical and Engg. Diploma in Food Safety and Quality			
14.	**पूरक प्रस्ताव संख्या–02** समविश्वविद्यालय के स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत विभागों / संकायों में शिक्षक / शिक्षकेतर वर्ग में रिक्त स्थायी पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव की स्वीकृति।	विवरण संलग्नक–03	इस प्रस्ताव पर सदन में चर्चा की गयी कि नये पाठ्यक्रमों को खोले जाने एवं उनके सुचारु संचालन हेतु कर्मीयों की आवश्यकता होगी। अतः उपरोक्त प्रस्ताव को सैद्धान्तिक रुप से स्वीकर किया गया। इस पर यह भी निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही से पूर्व प्रायोजक संस्था के नामित सदस्य (श्री विनय आर्य) से चर्चा की जानी आवश्यक है।	प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में चर्चा हेतु प्रस्तावित है।	***Objection by Prof. S.M. Sharma*:** Resolution No.2 of the Supplementary agenda relates to new appointments. The name of one person namely Mr Anil Kumar for the post of Computer Operator was included. But the same is missing. Ans: This matter was discussed in FC held on 07-03-2026 along with other employees. The committee was formed and once the report will be received the matter will be placed in the BOM.
15.	**पूरक प्रस्ताव संख्या–03** समविश्वविद्यालय में स्थायी शिक्षकों एवं शिक्षकेतर वर्ग के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव स्वीकृति हेतु।	समविश्वविद्यालय में विगत चार–पांच वर्षों से स्थायी कुलपति न होने के कारण स्थायी शिक्षक वर्ग के **84 पद** एवं शिक्षकेतर वर्ग **99 पद** (कुल **183 पद**) वर्तमान में रिक्त है। उक्त पदों पर स्थायी भर्ती की प्रक्रिया किये जाने से पूर्व शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार अनुमति लिया जाना आवश्यक है।	उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वर्तमान में मान्य उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड में समविश्वविद्यालय के विरुद्ध वाद दायर किया हुआ है। अतः मान्य न्यायालय के निर्णय आने के उपरान्त ही इस प्रस्ताव पर विचार किया जाना सम्भव होगा।	समविश्वविद्यालय के अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत लम्बे समय से रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया हेतु शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार को पत्र प्रेषित किया गया है साथ ही वर्तमान में कार्यरत कुलपति (अन्तरिम) द्वारा चयन	

क्र. सं.	प्रस्ताव	प्रस्ताव विवरण	सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सुझाव	कार्यवाही	आपत्ति
				प्रक्रिया करायी जानी न्यायोचित है अथवा नहीं इसके लिए अनुमति हेतु पत्र शिक्षा मन्त्रालय को प्रेषित किया गया है।✓	
16.	**पूरक प्रस्ताव संख्या–04**	समविश्वविद्यालय में फिक्स वेतन पर कार्यरत शिक्षकों के फिक्स वेतन में बढ़ोतरी किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव स्वीकृति हेतु। **क्र0सं0 — सेवाकाल अवधि — वार्षिक वृद्धि प्रतिशत** 1. — 03 से 07 — 03 प्रतिशत 2. — 07 से 15 — 05 प्रतिशत 3. — 15 से 20 — 07 प्रतिशत 4. — 20 से अधिक — 09 प्रतिशत	इस प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित शिक्षकों का वर्तमान अनुबन्ध समाप्त होने के उपरान्त नये अनुबन्ध होने पर ही वेतन को बढ़ाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस प्रस्ताव पर एक समिति का गठन किया जाय। जिसमें प्रबन्ध मण्डल से एक सदस्य (श्री एस0एम0 शर्मा) के रुप में सम्मिलित रहेंगे। समिति द्वारा विभागों को विलय (Merge) करके कक्षाओं के संचालन तथा छात्र/छात्राओं की संख्या के आधार पर भी निर्णय लेगी एवं जिन पाठ्यक्रमों में दस से कम छात्र/छात्राएँ है उन पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में भी निर्णय लेगी। समिति की रिपोर्ट आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत की जाय। इस प्रस्ताव के अन्तर्गत यह भी निर्णय लिया गया कि अनुबन्ध/तदर्थ शिक्षकों की शिक्षण कार्य अवधि दो/तीन वर्ष की जानी उचित होगी तथा समविश्वविद्यालय में किसी भी नितिगत मामलों (Policy Matter) में गठित समिति में मान्य कुलाधिपति महोदय द्वारा नामित एक सदस्य होना भी आवश्यक है।	समिति का गठन किया गया है।	***Objection by Prof. S.M. Sharma:*** Resolution No.4 Action taken report has not been brought in the agenda of the present BOM. For the remaing items ......No comment since the u/s left meeting to board the train. Ans: The committee report hasd been formed and the matter is in progress.
17.	**पूरक प्रस्ताव संख्या–05**	समविश्वविद्यालय में अनुरक्षण अनुदान के	प्रस्तावानुसार कार्यवाही की जानी	कार्यवाही पूर्ण की	

क्र. सं.	प्रस्ताव	प्रस्ताव विवरण	सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सुझाव	कार्यवाही	आपत्ति
	समविश्वविद्यालय में अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों, शिक्षकों, शिक्षिकाओं एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के प्रतिमाह वेतन के भुगतान के सम्बन्ध सूचनार्थ।	अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों, शिक्षकों, शिक्षिकाओं एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के प्रतिमाह वेतन एवं पेंशन का भुगतान पूर्व वित्तीय वर्ष में मार्च से फरवरी (12 माह) के अनुसार किया जाता रहा है। उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखित है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली वेतन एवं पेंशन अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक संकलित कर रहा है और समविश्वविद्यालय वर्तमान तक मार्च 2025 से फरवरी 2026 वेतन एवं पेंशन को संकलित कर रहा है। जिससे ज्ञात हुआ कि समविश्वविद्यालय एक माह के वेतन में पीछे चल रहा है। इसको ठीक करने के लिए प्रस्तावित है कि मार्च 2026 का वेतन एवं पेंशन माह अप्रैल 2026 के प्रथम सप्ताह में भुगतान किया जा सकता है और अप्रैल 2026 का वेतन एवं पेंशन अनुदान प्राप्त होने के उपरान्त अप्रैल 2026 माह के अंतिम तिथि में किया जा सकता है। इस प्रकार समविश्वविद्यालय भुगतान करता है तो वित्तीय वर्ष 2026–27 में 13 माह के वेतन बिलों का भुगतान करेंगें। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2026–27 में पेंशन मद में भी एक माह का अन्तर पूर्ण हो सकता है।	सर्वसम्मति से स्वीकार की गयी।	गयी।✓	
18.	**पूरक प्रस्ताव संख्या 06**	समविश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव पर लगी रोक को आगे तीन वर्ष बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव स्वीकृति हेतु।	उपरोक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि छात्र संघ चुनाव को दिनांक 01.06.2025 से आगामी तीन वर्ष हेतु प्रतिबन्ध किया गया है।	कार्यवाही पूर्ण की गयी।✓	
19.	**पूरक प्रस्ताव संख्या 07**	समविश्वविद्यालय के समस्त छात्र–छात्राओं के वेषभूषा निर्धारणार्थ स्वीकृति हेतु।	इस प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि समविश्वविद्यालय के छात्र–छात्राओं की वेषभूषा निर्धारित होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा प्रस्तावित वेषभूषा के सम्बन्ध में चर्चा की गयी तथा चर्चा उपरान्त निर्णय	समिति का गठन कर कार्यवाही की जा रही है।	

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>प्रस्ताव</th><th>प्रस्ताव विवरण</th><th>सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सुझाव</th><th>कार्यवाही</th><th>आपत्ति</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>लिया गया कि छात्र–छात्राओं की वेषभूषा निर्धारित करने से पूर्व प्रबन्ध मण्डल के नामित सदस्य (श्री विनय आर्य) से वार्ता कर अग्रिम कार्यवाही की जाय।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>20.</td><td>पूरक प्रस्ताव संख्या 08
समविश्वविद्यालय में कुछ शिक्षकों के अन्य संस्थानों में नियुक्त होने पर इस समविश्वविद्यालय की स्थायी सेवाओं से त्याग–पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में सूचनार्थ।</td><td>समविश्वविद्यालय में कुछ स्थायी शिक्षकों के अन्य संस्थानों में नियुक्ति होने के कारण उनके द्वारा नियमानुसर लियन सहित अवैतनिक अवकाश लिया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–
<table>
<tr><th>क्र0 सं0</th><th>शिक्षक का नाम</th><th>पदनाम</th><th>समविश्वविद्यालय की सेवा से त्याग–पत्र दिये जाने की तिथि</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>डॉ0 मौहर सिंह मीणा</td><td>असिस्टेन्ट प्रोफेसर (संस्कृत)</td><td>28.06.2023 (अपराह्न)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>डॉ0 अरुण सिंह अवाना</td><td>असिस्टेन्ट प्रोफेसर (अंग्रेजी)</td><td>10.07.2023 (अपराह्न)</td></tr>
</table>
* माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड–नैनीताल में डॉ0 वरुण बक्शी द्वारा दायर रिट पटीशन संख्या (S/B) 433 of 2024 के निर्णयानुसार दिनांक 24.07. 2024 को दिये गये प्रत्यावेदन के अनुसार त्याग–पत्र स्वीकार किया गया।</td><td>प्रस्ताव को उपरोक्तानुसार स्वीकार किया गया।</td><td>कार्यवाही पूर्ण की गयी।✓</td><td></td></tr>
<tr><td>21.</td><td>पूरक प्रस्ताव संख्या 09
प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 25.07.2025 के पूरक प्रस्ताव संख्या 05 के निर्णयानुसार समविश्वविद्यालय में विभिन्न संवर्ग में फिक्स वेतन पर</td><td>प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 05.05.2021 के पूरक प्रस्ताव संख्या 03 के बिन्दु 02 के निर्णयानुसार समविश्वविद्यालय में जिन शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को फिटमेंट टेबल से अधिक वेतन प्राप्त हो रहा है उन्हें प्रतिवर्ष 03 प्रतिशत की वृद्वि देय नही होगी। ऐसे कर्मचारियों का विगत कई वर्षों से फिक्स</td><td>इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि समिति गठित कर आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में पूर्ण विवरण (बढ़ोतरी सूची के साथ) के अनुसार प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाय।</td><td>आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में विचारार्थ।</td><td></td></tr>
</table>

क्र. सं.	प्रस्ताव	प्रस्ताव विवरण	सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सुझाव	कार्यवाही	आपत्ति
	अस्थायी रुप से कार्यरत शिक्षकेतर कर्मचारियों को फिटमेंट टेबल अनुसार बेसिक सैलरी के सापेक्ष वेतन–वृद्धि दिये जाने के सम्बन्ध में।	वेतन में किसी भी प्रकार बढ़ोतरी नही हुई है। अतः सम्बन्धित समस्त कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों की भांति प्रतिवर्ष जनवरी माह में 03 प्रतिशत की बढ़ोतरी किये जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।			
22.	**पूरक प्रस्ताव संख्या 10** समविश्वविद्यालय में कार्यरत श्री रंजीत कुमार–अवर अभियन्ता (सिविल), डॉ0 सत्येन्द्र कुमार राजपूत–प्रोफेसर (अनुबन्ध), डॉ0 हरीश चन्द्र–असिस्टेन्ट प्रोफेसर एवं डॉ0 प्रवीणा चतुर्वेदी–प्रोफेसर के प्रकरणों के सम्बन्ध में प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।	1. समविश्वविद्यालय में रिक्त पदों के सम्बन्ध में आवेदन मांगे जाने के आलोक में दिनांक 17.06.2021 को विज्ञापन जारी किया गया था। इस विज्ञापन में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरने हेतु दिनांक 08.06.2022 को साक्षात्कार सम्पन्न किया गया था। अतः उपरोक्त परिस्थिति में सहायक अभियन्ता (सिविल) के लिफाफे खोले जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है। 2. दिनांक 25.07.2025 को हुई प्रबन्ध मण्डल की बैठक के प्रस्ताव संख्या 26 के अनुसार **डॉ0 सत्येन्द्र कुमार राजपूत को प्रोफेसर पद पर ही तीन वर्ष का सेवा विस्तार एवं विभागाध्यक्ष पद, भेषज विभाग तत्काल प्रभाव से दिया जाना स्वीकृत हुआ था। इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। सूचनार्थ** 3. समविश्वविद्यालय में स्थायी रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यरत डॉ0 हरीश चन्द्र के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड–नैनीताल में अपने समविश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर वेतन सुरक्षित रखने की स्वीकृति हेतु तथा नियमित नियुक्ति के सम्बन्ध में दायर याचिका संख्या WPSB No 446 of 2023 के अन्तर्गत जारी किये गये आदेश दिनांक 23.10.2024 के क्रम में डॉ0 हरीश चन्द्र के उक्त प्रकरण को प्रबन्ध मण्डल में रखे	प्रस्तावों पर सदन में सर्वसम्मति से निम्न प्रकार से निर्णय लिये गयेः– 1 सहायक अभियन्ता (सिविल) के साक्षात्कार के सीलबन्द लिफाफे खोले जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में विधिक राय ले ली जाय। 2 प्रस्ताव स्वीकर कर कार्यवाही शीघ्र सम्पादित किये जाने के निर्देश दिये गये। 3 इस प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि डॉ0 हरीश चन्द्र के प्रोफेसर सम्बन्धित कार्यवाही पर विधिक राय ले ली जाय तथा इन्हें पूर्व सेवा के वेतन को सुरक्षित कर लाभ प्रदान कर दिया जाय। 4 इस प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि चयन समिति की बैठक दिनांक 28.11.1998 की संस्तुति में वरिष्ठताक्रम पर डॉ0 हेमन पाठक प्रथम स्थान होने तथा दोनों शिक्षिकाओं के द्वारा एक ही तिथि में अपराह्न में कार्यभार ग्रहण करने पर आयु में डॉ0 हेमन पाठक वरिष्ठ होने के कारण डॉ0 हेमन पाठक डॉ0 प्रवीणा चतुर्वेदी से वरिष्ठ है।	1. विविध राय ली जा रही है। 2. कार्यवाही की जा रही है। 3. विधिक राय ली जा रही है। 4. कार्यवाही पूर्ण की गयी।✓	

क्र. सं.	प्रस्ताव	प्रस्ताव विवरण	सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सुझाव	कार्यवाही	आपत्ति
		जाने एवं डॉ0 हरीश चन्द्र को नियुक्ति पत्र जारी किये जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है। 4. समविश्वविद्यालय के कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून में प्रोफेसर पद पर कार्यरत डॉ0 प्रवीणा चतुर्वेदी ने डॉ0 हेमन पाठक, प्रोफेसर से अपनी वरिष्ठता के सम्बन्ध में प्रेषित शिकायती पत्र के निराकरण के आलोक में प्रो0 रेणु शुक्ला की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। गठित समिति द्वारा संस्तुति की गयी है कि परिसर के कार्यालय उपस्थिति पंजिका में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ही डॉ0 प्रवीणा चतुर्वेदी का नाम डॉ0 हेमन पाठक से ऊपर है साथ ही **"महत्वपूर्ण और प्रमाणिक डॉक्यूमेंट्स एवं कार्यभार ग्रहण करने के समय के आधार पर डॉ0 प्रवीणा चतुर्वेदी, डॉ0 हेमन पाठक से वरिष्ठ है।"** इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि इस यह भी अवगत कराना है कि इस समविश्वविद्यालय में प्रवक्ता (असिस्टेन्ट प्रोफेसर) के 02 पदों पर चयन समिति की बैठक दिनांक 28.11.1998 की संस्तुति में वरिष्ठताक्रम पर डॉ0 हेमन पाठक प्रथम स्थान पर तथा डॉ0 प्रवीणा चतुर्वेदी द्वितीय स्थान पर अंकित है। **अतः उपरोक्त के आलोक में निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।**			
23.	**पूरक प्रस्ताव संख्या–11** समविश्वविद्यालय के केन्द्रीय पुस्तकालय में सूचना वैज्ञानिक पद पर कार्यरत डॉ0 अनिल कुमार धीमान के सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में	दिनांक 18.08.2025 को हुई प्रबन्ध मण्डल की बैठक के पूरक प्रस्ताव संख्या 04 में निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या F.NO.019-16/2008-DESK (U) दिनांकित 07.05.2024 के अनुसार स्पष्ट रूप से कहा गया कि सूचना वैज्ञानिक अधिकारी को CAS के बजाय MACP ही	प्रस्ताव पर यू0जी0सी0 के पत्र F. No.7-1/2022 (JCRC) दिनांकित 27.09.2022 के आलोक में डॉ0 अनिल कुमार धीमान को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के उपरान्त दिनांक 31.10.2025 से की गयी सेवानिवृत्ति	न्यायालय में दायर वाद पर जो भी आदेश निर्देश प्राप्त होगें तदनुसार कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।	

क्र. सं.	प्रस्ताव	प्रस्ताव विवरण	सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सुझाव	कार्यवाही	आपत्ति
	निणयार्थ।	मिलेगा। अतः प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय लिया गया कि डॉ0 अनिल कुमार धीमान को अन्य शिक्षकेतर कर्मचारियों की भांति सेवानिवृत्त आयु 60 वर्ष होगी तथा उनको दिया गया CAS का लाभ निरस्त किया जाता है एवं उनको नियमानुसार MACP का लाभ दिया जाय। डॉ0 अनिल कुमार धीमान के सम्बन्ध में दिनांकित 10.06.2025 का एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के मई 2014 के पत्र संलग्न करते हुए इन्हें CAS प्रोन्नति न दिये जाने तथा सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष किये जाने का अंकन किया है। इस सम्बन्ध में तत्कालीन माननीया कुलपति महोदया (डॉ0 हेमलता) के. द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में समस्त प्रपत्रों का अध्ययन कर अपनी संस्तुति प्रस्तुत की है कि डॉ0 अनिल कुमार धीमान को पूर्व में प्रबन्ध मण्डल की बैठक में हुए निर्णयानुसार ही इन्हें कैश प्रोन्नति एवं सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष ही रहेगी। परन्तु वर्तमान में माननीया कुलपति महोदया (प्रो0 प्रतिभा मेहता लूथरा) द्वारा यू0जी0सी0 के पत्र F. No.7-1/2022 (JCRC) दिनांकित 27.09.2022 के आलोक में डॉ0 अनिल कुमार धीमान को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के उपरान्त दिनांक 31.10.2025 का सेवानिवृत्त कर अन्तरिम पेंशन जारी की गयी है। इस निर्णय के विरुद्ध डॉ0 अनिल कुमार धीमान द्वारा मान्य उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड में वाद संख्या WPSB No. 552 of 2025 दायर किया गया है।	को स्वीकार किया गया तथा इनके द्वारा मान्य न्यायालय में दायर वाद पर जो भी आदेश निर्देश प्राप्त होगें तदनुसार कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।		
24.	**पूरक प्रस्ताव संख्या–12** समविश्वविद्यालय के	समविश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय के पुस्तकालय में कार्यरत	प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित प्रकरण पर	विधिक राय ली जा रही है।	

क्र. सं.	प्रस्ताव	प्रस्ताव विवरण	सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सुझाव	कार्यवाही	आपत्ति
	अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय के पुस्तकालय में कार्यरत श्री शत्रुघ्न झा द्वारा मान्य उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में दायर वाद संख्या WPSB/365/2020 में दिनांक 08.07.2025 को पारित आदेश के क्रम में प्रस्ताव।	श्री शत्रुघ्न झा द्वारा अपने कैश प्रोन्नति के सम्बन्ध में मान्य उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में दायर वाद संख्या WPSB/365/2020 में दिनांक 08.07.2025 को पारित आदेश के बिन्दू संख्या 07 में वाद को इस आशय के साथ निपटान (Dispose off) किया गया है ***कि वादी आदेश जारी की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर मान्या कुलपति जी को अपने कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के लाभ हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेंगे तथा सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी मामले की जांच करेगा और अभ्यावेदन की प्राप्ति की तारीख से 06 सप्ताह के अन्दर कानून के अनुसार निर्णय लेगा।*** उपरोक्त के आलोक में श्री शत्रुघ्न झा द्वारा दिनांक 21.07.2025 को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने वर्ष 2006 से अपनी सेवा को प्रभावी मानते हुए नियमानुसार अपने कैश प्रमोशन हेतु अनुरोध किया गया है। श्री शत्रुघ्न झा द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर तत्कालीन पूर्व कुलपति डॉ0 हेमलता के महोदया द्वारा इनके अभ्यावेदन का निपटान कर आदेश जारी किया गया है जिसके अनुसार श्री शत्रुघ्न झा को स्टेज II तथा स्टेज III पर निर्धारित समयावधि में CAS प्रोन्नति प्रदान की गयी है तथा स्टेज IV एवं स्टेज V के लिये यह मामला कार्यकारी परिषद के समक्ष विचार–विमर्श तथा निर्देश/आदेश के लिये रखा जाये।	विधिक राय ली जाय तथा विधिक राय को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।		
25.	**पूरक प्रस्ताव संख्या–13**	समविश्वविद्यालय के विभिन्न कक्षों के नाम आर्य विद्वानों/अमर हुतात्माओं के नाम से रखे जाने की स्वीकृति हेतु।	प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।	कार्यवाही की जा रही है।	
26.	**पूरक प्रस्ताव संख्या–14** प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 18.08.2025 के	माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड में श्री द्वारिका प्रसाद द्वारा दिनांक 23.03.2026 को दायर वाद संख्या 160/2026 SB में दिनांक	इस प्रस्ताव का ससम्मान अवलोकन किया गया तथा श्री द्वारिका प्रसाद द्वारा मान्य उच्च न्यायालय में वाद	समिति गठित कर दी गयी है।	

क्र. सं.	प्रस्ताव	प्रस्ताव विवरण	सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सुझाव	कार्यवाही	आपत्ति
	प्रस्ताव संख्या 12 के अनुसार समविश्वविद्यालय में विभिन्न शैक्षणिक पदों पर चयन शिक्षकों के सीलबन्द लिफाफे खोले जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्रालय के नोटिफिकेशन का संज्ञान लेते हुए विस्तृत चर्चा के पश्चात निर्णय लिया गया कि चयन समिति की अनुशंसा साक्षात्कार की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी और यदि किसी भी कारण से अनुशंसा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं की गयी तो अनुशंसा समाप्त हो जाएगी और नया विज्ञापन जारी किया जायेगा। सम्पूर्ण साक्षात्कार प्रक्रिया को निरस्त किया गया। प्रबन्ध मण्डल द्वारा नया विज्ञापन जारी करने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया।	20.06.2022 को एसोसिएट प्रोफेसर, रसायन पद पर हुए साक्षात्कार के लिफाफे खोलने के सम्बन्ध में समविश्वविद्यालय के अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय को अवगत कराया गया कि आगामी दिनांक 24.03.2026 को होने वाली प्रबन्ध मण्डल की बैठक में निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।	दायर किया गया है उस विषय को मान्य सदन के समक्ष लाया गया। इस सम्बन्ध में उक्त साक्षात्कार के लिफाफा खोले जाने हेतु एक समिति का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया। गठित समिति में एक वाह्य सदस्य एवं एक मान्य कुलाधिपति जी द्वारा नामित सदस्य भी होना आवश्यक है जो पूर्ण प्रक्रिया की जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सम्बन्धित रिपोर्ट को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।		
27.	**पूरक प्रस्ताव संख्या–15**	गुरुकुल कांगड़ी समविश्वविद्यालय, हरिद्वार में सुरक्षा व्यवस्था में कार्यरत फर्म का टेण्डर समाप्त हो गया है। अतः वर्तमान में आर्यवीर दल के प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को समविश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था में रखने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत्यार्थ।	इस प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि सुरक्षा व्यवस्था निर्धारण हेतु एक नियत प्रक्रिया है। अतः नियत प्रक्रिया के अन्तर्गत ही टैण्डर की प्रक्रिया के माध्यम से ही कार्यवाही सम्पन्न की जाय। इस सम्बन्ध में समविश्वविद्यालय में एक सुरक्षा समिति का गठन कर निर्णय लिया जाय।	सुरक्षा समिति का गठन कर दिया गया है तथा टेण्डर प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है।	
28.	**पूरक प्रस्ताव संख्या–16**	गुरुकुल कांगड़ी समविश्वविद्यालय, हरिद्वार के अधिकारी कक्ष, कार्यालय कक्ष, व्याख्यान कक्ष	उक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव प्रबन्ध	कार्यवाही की जा रही है।	

क्र. सं.	प्रस्ताव	प्रस्ताव विवरण	सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सुझाव	कार्यवाही	आपत्ति
		और सभागार कक्ष में गुरु विरजानन्द सरस्वती, स्वामी दयानन्द सरस्वती तथा स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज के चित्र लगाने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत्यार्थ।	मण्डल के स्तर का नही है। अतः इस प्रस्ताव पर प्रशासन स्वयं निर्णय लेकर अग्रिम कार्यवाही कर सकते हैं।		
29.	**अन्य पूरक प्रस्ताव–01** समविश्वविद्यालय में आचार्य की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	समविश्वविद्यालय में पूर्व में आचार्य एवं उपकुलपति के व्यवस्था रहती थी। यू0जी0सी0 रेगुलेशन के अनुसार उपकुलपति की व्यवस्था समाप्त होने के कारण आचार्य की व्यवस्था भी बन्द कर दी गयी थी। वर्तमान में आचार्य की व्यवस्था को पुनः आरम्भ किया जाना है। जिस हेतु वेद एवं संस्कृत विभागों में वरिष्ठ प्रोफेसर के रूप में स्थायी रूप से कार्यरत प्रोफेसर को आचार्य का दायित्व दिया जाना है। जिससे कि गुरुकुलीय परम्पराओं का निवर्हन हो सके।	**इस प्रस्ताव पर विधिक राय लिये जाने हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।** सदन में निम्न विषयों पर भी निर्णय लिये गयेः– i. समविश्वविद्यालय में शिक्षकों, कर्मचारियों एवं वित्त के सम्बन्ध में जो भी बड़े निर्णय समिति के माध्यम से लिये जाने है उन समितियों में मान्य कुलाधिपति जी द्वारा नामित एक सदस्य भी रहेगा। ii. समविश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्रमों, प्रवेश, प्लेसमेंट सेल, पूर्व छात्र (Alumni), छात्रावासों, गैस्ट हाउस, सुरक्षा व्यवस्था, सम्पदा और कोर्ट केस पर विशेष ध्यान एवं कार्यवाही की जानी आवश्यक है। iii. आगामी बैठक दिनांक 02.05.2026 को समविश्वविद्यालय में आहुत की जानी स्वीकार की गयी।	i) माननीय कुलाधिपति जी को पत्र सदस्य नामित करने निमित्त पत्र प्रेषित कर दिया गया है। ii) इस सम्बन्ध में समितियों का गठन कर कार्यवाही की जा रही है। iii) विचार विमर्श कर आगामी बैठक की तिथि एवं स्थान निर्धारित किया जायेगा।	

* **Prof. S.M. Sharma also mentioned that it was also decided to review the decisions taken by Ex-VC over as per Court order along with Ex-Registrar (Shri Vipul Kumar) by a 3-member Committee to be constituted by the VC. There is no mention of the same in the proceedings:** The committee has been working on the matter. The matter will be placed in the next BoM meeting after the receving the report from the constituted committee.

(प्रो. प्रतिभा मेहता लूथरा)
कुलपति (अन्तरिम)

(प्रो. सत्यदेव निगमालंकार)
कुलसचिव (कार्यवाहक)